

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 398] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1972/श्राव 15, 1894

No. 398] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 1972/BHADRA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 6th September 1972

S.O. 577(E).—Whereas in the opinion of the Central Government, it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in any of the Railway services connected with or under the Southern Railway and South-Central Railway Administration in the States of Kerala, Tamil Nadu, Mysore, Andhra Pradesh and Maharashtra would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community, it is necessary and expedient to prevent strikes in the said Railway Services;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits, with immediate effect, any strike in connection with any industrial dispute in the said Railway Services in the States of Kerala, Tamil Nadu, Mysore, Andhra Pradesh and Maharashtra for a period of three months

[No. S. 42025/14/72/LRI.]

N. P. DUBE, Addl. Secy.

भ्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(भ्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1972

क्र० भा० 577(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएं बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः केरल, तामिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में वक्षिणी रेलवे और दक्षिण केन्द्रीय रेल प्रशासन के अन्तर्गत अथवा उनसे समबद्ध किसी रेलवे सेवा में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाये रखने के लिए, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इसलिए उक्त रेल सेवाओं में हड़ताल को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त सेवा में किसी भी औद्योगिक विकास विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को केरल, तामिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में तीन माह की अवधि के लिए तुरन्त प्रतिषिद्ध करती है ।

[संख्या एस-42025/14/72-एल० आर०-1.]

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव ।